

संचालनालय लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (सी)4/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/95
प्रति,

भोपाल, दिनांक : 8 .06.2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

विकास खण्ड मऊगंज (रीवा), गोटेगांव, चावरपाठा (नरसिंहपुर), पथरिया, दमोह (दमोह),
ईसानगर (छतरपुर), नीमच (नीमच), अमरवाड़ा, सौंसर (छिन्दवाड़ा), खिलचीपुर (राजगढ़),
मैहर (सतना), सागर (सागर), आगर मालवा (आगर मालवा), बडवाह (खरगोन), बुदनी
(सीहोर), बालाघाट (बालाघाट) म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

---00---

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत
निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में नियमानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	01. श्री अमरेशसिंह, प्राचार्य, शा. उमावि खुटहा जिला रीवा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मऊगंज 3222003046	110856
2202 सामान्य शिक्षा	02. श्री सुरेन्द्र कुमार खम्परिया, प्राचार्य, शा.उमावि खमरिया झांसीघाट जिला नरसिंहपुर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड गोटेगांव 2622003003	105500
02 माध्यमिक शिक्षा	03. श्री हरिशंकर शुक्ला, प्राचार्य, शा.उमावि डोभी जिला नरसिंहपुर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड चावरपाठा 2602003001	105500
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	04. श्री सुभाष चंद जैन, व्याख्याता, शा.कन्या पथरिया जिला दमोह म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड पथरिया 0802003003	8500+ 72000 =80500
0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाये	05. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, व्याख्याता, म.ल.ब.उमावि दमोह जिला दमोह म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दमोह 0802003002	68217
11 वेतन, भत्ते	06. श्री वीरेन्द्र चौरसिया, शिक्षक, शा.उमावि क्रमांक 2 छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड ईसानगर 0602003015	89380
8888 -	07. श्री रामजीवन मीना, गणक, शा. हाईस्कूल बधाना जिला नीमच म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड नीमच 2702003001	100000
V मतदेय	08. श्रीमति अलिया अली, प्राचार्य, शा.क.उमावि सिगोडी जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड अमरवाड़ा 0712003006	10170
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	09. श्री एस.के.गाडगे, प्राचार्य, शा. हाईस्कूल घोटकी बघेडी जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सौंसर 0752003003	125000
	10. श्री भवरलाल कुम्भकार, सेवानिवृत्त, सहायक ग्रेड 2, कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड खिलचीपुर 3002003010	53362
	11. श्री कन्धीलाल बुनकर, प्रधान अध्यापक, मा.शा.उत्कृष्ट उमावि मैहर जिला सतना म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मैहर 3422003090	99620

Yogesh


बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	12. श्री बट्टी प्रसाद अहिरवार, सहायक शिक्षक, शा.उमावि बम्होरी बीका सागर जिला सागर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सागर 3302003004	52290
2202 सामान्य शिक्षा	13. श्रीमती सुषमा गौतम, शिक्षक, प्राचार्य, शा.उमावि गौरनगर, विकास खण्ड सागर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सागर 3302003004	39484
109 माध्यमिक शिक्षा	14. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सेवा निवृत्त व्याख्याता, प्राचार्य, शा.क.उमावि आगर जिला आगर मालवा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड आगर मालवा 5102003049	4235
0581 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	15. श्री लक्ष्मीराम बमणके, प्राचार्य, शा.हाईस्कूल सुलगाँव जिला खरगोन म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बडवाह 2212003001	72750
11 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें	16. श्री मोहनलाल कपूर, उच्च श्रेणी शिक्षक, संकूल केन्द्र शा. बा.उमावि शाहगंज जिला सीहोर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बुदनी 3522003030	180882
8888 वेतन, भत्ते	17. श्रीमती चन्द्रकला मण्डलेकर, व्याख्याता, शा.एम.एल. बी.कन्या उमावि बालाघाट म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बालाघाट 0102003043	120000
V मतदेय			
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति			
(अक्षरी राशि रु.चौदह लाख सत्रह हजार सात सौ छियालीस मात्र)			₹ 14,17,746/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”


(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

स्वीकृत राशि
(4)
52290

//03//

पृ.क्रमांक/बजट (सी)4/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/96

भोपाल, दिनांक : 8.06.2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- रीवा, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, नीमच, छिन्दवाडा, राजगढ़, सतना, सागर, आगर-मालवा, खरगोन, सीहोर, बालाघाट म.प्र. ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, नीमच, छिन्दवाडा, राजगढ़, सतना, सागर, आगर-मालवा, खरगोन, सीहोर, बालाघाट
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ।
5. संबंधित कर्मचारिगण स.क्र. 1 से 17 तक
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.